

तारीख हकम	हकम या कार्यवाही या मय इनिशियलस जन	नम्बर व तारीख आह्वान जो इस हकम की तालीम में जारी हुए
--------------	------------------------------------	---

11/7/25
 प्लावली पेडा हुई। वकील उजायदा आ केवा
 वहरन प्रो पर u/s 212 RT ACT सुनी गई।
 मामला प्रार्थी या का कथन है कि अप्रार्थी
 प्लवन उरनी खाते व काले नी भूमि
 खण्ड नं 300 रकबा 2.5672 ha पर कब्जा
 करने पर मामला है परन्तु अप्रार्थी
 का कथन है कि खण्ड नं 300 पर उसने
 ना कोई कब्जा किया है और ना ही
 कोई धमकी दी है। मसिद इसके लगवा
 स्थित सरकारी भूमि खण्ड नं 302 पर कब्जा
 काश्त को लेकर है। उक्त राजकीय भूमि
 खण्ड नं 302 पर अप्रार्थी का कब्जा
 कब्जाकाश्त है जिसकी धारा-91 CR ACT
 से penalty की जमा करते हैं लेकिन
 प्रार्थी इस पर प्लवन कब्जा करने पर
 मामला है।

खण्ड नं 300
 पर हमारा कब्जा
 नहीं है प्रार्थी का कथन
 खण्ड नं 302 पर
 विवाद नहीं करे
 कोई अप्रार्थी नहीं है।
 फैला शक्ति है

अरोक्त विवेचन के आधार पर
 प्रार्थी का फण्ड का खीकार किया जाता
 है। अप्रार्थी कम 1 से 3 को जारी अख्तियार
 निषेधाता से पाबंद किया जाता है कि
 वे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि
 खण्ड 300 रकबा 2.5672 ha पर प्लवन इखल
 नहीं डेवे। अप्रार्थी कम 4 को पाबंद किया
 जाता है कि वह सरकारी भूमि खण्ड नं 302
 पर से सभी अतिक्रमियों को बंदखल कर
 पालना दिपाई इस न्यायालय को 15 दिवस
 से मैनना पुनिश्चित करे। प्लावली फैलाप
 सुमार होकर नम्बर से कम होकर भूमि
 के साथ समान हो।



Up
 उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा, जिला जालावाड़ (उ.प्र.)